Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में थानाधिकारी, पुलिस थाना बनेठा व उसका रीडर 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को टोंक में कार्यवाही करते हुये बाबूलाल उपनिरीक्षक, थानाधिकारी व उसके रीडर रामधन हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक को परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी ट्रैक्टर–ट्रॉली को छोड़ने तथा मुकदमें में कार्यवाही हल्की करने की एवज में बाबूलाल उपनिरीक्षक, थानाधिकारी व उसके रीडर रामधन हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बनेठा, टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुये बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल खटीक निवासी बाबईचा, पुलिस थाना गेगल, जिला अजमेर हाल उपनिरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक व उसके रीडर रामधन पुत्र श्री कल्याणराम निवासी पीपल्या, पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक को परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादियों से 15 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।